

भारत सरकार  
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय  
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या: 999  
25 जुलाई, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का उपयोग

999. डॉ. प्रभा मल्लिकार्जुन:

क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को जानकारी है कि अवसंरचना की उपलब्धता के बावजूद केवल 65 प्रतिशत ग्रामीण परिवार ही उन्नत स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का उपयोग करते हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या विश्वास और जागरूकता के अभाव के कारण अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और हाशिए पर पड़े अन्य समूहों में इसका उपयोग काफी कम है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने समावेशी पहुंच में सुधार के लिए एनटीपीसी फाउंडेशन, हुंडई के स्पर्श संजीवनी और वेदांता के सेहत शिविरों जैसी सीएसआर-आधारित पहलों के साथ साझेदारी की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या विशेषकर वंचित क्षेत्रों में निवारक स्वास्थ्य देखभाल, माहवारी संबंधी स्वच्छता जागरूकता और चल स्वास्थ्य प्रदायगी को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ङ) सरकार द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन-यूनिसेफ के दिशानिर्देशों के अनुरूप स्थानीय रूप से विश्वसनीय, समान और सतत सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के लिए क्या पहल की जा रही है?

उत्तर  
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री  
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में जन स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही के रिकॉर्ड (आरओपी) के रूप में प्रस्ताव के लिए वित्तीय अनुमोदन प्रदान करती है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) पोर्टल पर दी गई सूचना के अनुसार, दिनांक 30 जून, 2025 तक कुल 1,77,906 आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) कार्यशील हो गए

हैं, जिनमें अनुसूचित जातियों सहित 438.54 करोड़ से अधिक लोग शामिल हैं। दिनांक 30.06.2025 तक की स्थिति के अनुसार, 33.21 करोड़ उच्च रक्तचाप जांच, 31.87 करोड़ मधुमेह जांच, 29.15 करोड़ मुख कैंसर जांच, 15.10 करोड़ स्तन कैंसर जांच, 7.12 करोड़ गर्भाशय ग्रीवा कैंसर जांच और 36.64 करोड़ टेली-परामर्श आयोजित किए गए हैं।

दिनांक 30 जून 2025 तक की स्थिति के अनुसार, अधिसूचित जनजातीय जिलों में आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) में आने वाले लोगों की संख्या 46.91 करोड़ है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (डीएपीएससी/डीएपीएसटी) की विकास कार्य योजना के लिए स्कीमों के अंतर्गत बजट और व्यय दर्शाने वाला विवरण निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	डीएपीएससी आवंटन	(%) डीएपीएससी (योजना बजट) के अंतर्गत आवंटन	डीएपीएसटी आवंटन	(%) डीएपीएसटी (योजना बजट) के अंतर्गत आवंटन
2020-21	8300	16.7	4300	8.7
2021-22	8938	16.7	4634	8.7
2022-23	10424	16.6	5401	8.6
2023-24	9324	16.6	4830	8.6
2024-25	9158	16.6	4745	8.6

(ग) और (घ): भारत सरकार और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) द्वारा सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (यूएचसी) के व्यापक दृष्टिकोण के अंतर्गत, विशेष रूप से वंचित और दूरदराज के क्षेत्रों में निवारक स्वास्थ्य परिचर्या, मासिक धर्म स्वच्छता संबंधी जागरूकता और मोबाइल स्वास्थ्य सेवा वितरण को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से कई पहल की जा रही हैं:

- एएएम केंद्रों का उद्देश्य प्रजनन और बाल स्वास्थ्य (आरसीएच) सेवाओं सहित सेवाओं के 12 विस्तारित पैकेजों के माध्यम से व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या (सीपीएचसी) प्रदान करना है, साथ ही सामुदायिक आउटरीच और आरोग्य संबंधी कार्यकलापों के माध्यम से स्वास्थ्य संवर्धन करना है, जिसमें सभी मातृ स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, नवजात, किशोर और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम शामिल हैं।
- निवारक और प्रोत्साहनकारी स्वास्थ्य सेवा के एक भाग के रूप में, एएएम के माध्यम से योग और आरोग्य संबंधी प्रथाओं को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया जाता है। कार्यकलापों में एएएम में दैनिक और साप्ताहिक योग सत्र, सामुदायिक भागीदारी के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन शामिल है। सभी प्रकार के एएएम में योग के प्रचार में योग प्रशिक्षकों की भागीदारी।
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता योजना (एमएचएस) के अंतर्गत, किशोरियों (विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में) में मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता को बढ़ावा दिया

जा रहा है। इसकी प्रमुख विशेषताओं में आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से सैनिटरी नैपकिन का वितरण शामिल है।

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत, राज्यों को सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच में सुधार के लिए, विशेष रूप से दूरस्थ, दुर्गम, अल्पसेवित और असेवित क्षेत्रों में रहने वाली आबादी के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट (एमएमयू) तैनात करने में सहायता प्रदान की जाती है। एनएचएम के अंतर्गत राज्यों को कुल 1,498 एमएमयू प्रदान किए जाते हैं।
- ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण दिवस (वीएचएसएनडी) मंच, जो ग्रामीण स्तर पर मासिक रूप से कार्य करता है, निवारक परिचर्या सेवाओं के रूप में सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए एक प्रमुख संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करता है।
- इसके अतिरिक्त, डिजिटल स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ करने और विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों तक पहुँच में सुधार करने के लिए टेलीपरामर्श सेवाएं प्रदान करने हेतु ई-संजीवनी जैसा डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना।

(ड): स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत की गई पहल स्थानीय स्तर पर विश्वसनीय, न्यायसंगत और स्थायी सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिशों के साथ एक मजबूत नीति संरेखण को दर्शाती है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुरूप है। अल्मा-अता घोषणा (1978) के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या(पीएचसी), सामुदायिक भागीदारी और उपर्युक्त प्रौद्योगिकी को समतामूलक स्वास्थ्य प्रणालियों की नींव के रूप में स्थापित किया गया - जो कार्यबल और समुदाय-आधारित दृष्टिकोणों पर बाद के डब्ल्यूएचओ मार्गदर्शन के लिए आधारशिला थी।

डब्ल्यूएचओ-यूनिसेफ के दिशानिर्देशों के अनुरूप विकसित इन दिशानिर्देशों को जब राज्यों द्वारा स्थानीय स्तर पर प्रासंगिक तरीके से कार्यान्वित किया जाएगा, तो इससे समुदाय के लिए समान और स्थायी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध होगी।

\*\*\*\*\*